भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2327

(सोमवार, 3 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

दिवाला समाधान व्यवस्था को बेहतर बनाना

2327. श्री प्रवीन खंडेलवालः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए पूर्व में तैयार किए गए दिवाला समाधान प्रक्रिया के कामकाज की समीक्षा की है और इसे अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए क्या उपाय किए गए है;
(ख) यदि हाँ, तो दिवाला व्यवस्था के लिए प्रस्तावित एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के समक्ष ई-फाइलिंग की स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान स्वीकार किए गए, समाधान किए गए कारपोरेट दिवाला मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा इस दौरान दर्ज किया गया औसत समाधान समय कितना है;
(घ) क्या सरकार का छोटे व्यापारिक उद्यमों, विशेषकर दिल्ली के चांदनी चौक जैसे वाणिज्यिक केंद्रों के उद्यमों के लिए तीव्र, कम लागत वाले दिवाला समाधान और ऋण देने वालों के संरक्षण हेतु कोई विशेष उपाय किए हैं या करने का प्रस्ताव है; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख) जी, हां। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए प्री-पैकेजित दिवाला समाधान प्रक्रिया (पीपीआईआरपी) के कामकाज की समीक्षा इसके कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव और हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर की गई। समीक्षा के आधार पर, पीपीआईआरपी ढांचे को मजबूत करने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2026 के माध्यम से संशोधन पेश किए गए, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) प्री-पैकेजित दिवाला समाधान प्रक्रिया (पीपीआईआरपी) शुरू करने के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी से संबंधित मौजूदा प्रावधानों को सुगम बनाया गया है ताकि एमएसएमई को दिवाला के लिए पीपीआईआरपी मार्ग का उपयोग करने के लिए अधिक लचीलापन और प्रलेखन प्रक्रिया में सुगमता मिल सके।

(ii) असंबंधित वित्तीय लेनदारों के मतदान हिस्से के 66% से 51% तक पीपीआईआरपी शुरू करने के लिए शिथिल कर दिया गया है, जिससे एमएसएमई के लिए तंत्र तक पहुंच में बाधाएं कम हो गई हैं।

आईबीसी इकोसिस्टम (आईपीआईई) के लिए एकीकृत मंच के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के समक्ष ई-फाइलिंग मौजूदा ई-कोर्ट प्रणाली के माध्यम से की जाती है।

(ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकार किए गए, हल किए गए कारपोरेट दिवाला मामलों और दर्ज किए गए औसत समाधान समय का वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक में है।

प्रत्येक मामले को हल करने में लगने वाला समय प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, अंतरिम आवेदनों (आईए) की संख्या, उच्च न्यायालयों द्वारा लगाए गए स्थगन, हितधारकों के सहयोग और स्थगन आदि पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकार किए गए, हल किए गए कारपोरेट दिवाला मामलों और दर्ज किए गए औसत समाधान समय के संबंध में वर्ष-वार जानकारी नीचे दी गई है:

क्रम संख्या	अवधि	प्रवेश की संख्या*	संकल्पों की संख्या*	निर्णायक प्राधिकरण (कक) द्वारा छोड़े गए समय को छोड़कर औसत समाधान समय (दिनों में)
(i)	2023-24	1004	258	705
(ii)	2024-25	734	259	718
(iii)	2025-26	665	333	751

*आईबीबीआई द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, जिसे समय-समय पर समाधान पेशेवरों द्वारा दायर की गई जानकारी के आधार पर अपडेट किया जाता है।